राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1771, 1772, 1773 व 1774 / 2015 / .... जिला : जयपुर
मैसर्स ट्रस्ट मार्केटिंग जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, वृत–प्रथम, जयपुर व अपीलीय अधिकारी–प्रथम,वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

04.11.2015

अपीलार्थी की ओर से श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगनादेश दिनांक 30.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.09.2015, जो अधिनियम की धारा 26, 55, 61 व 65 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये पारित किये गये हैं, में आरोपित कर,शास्ति एव ब्याज के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने शास्ति राशियों पर स्थगन प्रदान करते हुए निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज राशियों पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर एवं ब्याज पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

अ. सं.	कर	ब्याज	योग	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1770 / 15	49,60,942 / –	37,87,986 / –	87,48,928 / –	82,52,834 / –
1771 / 15	42,69,404 / –	27,07,370 / –	69,76,774 / –	65,49,834 / –
1772 / 15	45,05,538 / –	22,73,963 / –	67,79,501 / –	63,28,947 / –
1773 / 15	35,80,067 / –	13,43,510 / –	49,23,577 / –	45,65,570 / –

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ (श्री मदन लाल एवं श्री मनोहर पुरी, सदस्य) द्वारा अपील संख्या 1291 से 1296 / 2015 जिला जयपुर मैसर्स राशि पेरिफेरल्स प्रा.लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, राजस्थान,वृत–द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर एवं अपील संख्या 1315 से 1318 / 2015 / जयपुर मैसर्स ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रिब्यूशन प्रा.0लि., नई दिल्ली बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,राजस्थान,वृत–द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर के प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 को उद्धरित किया है, का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी

व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों में से शास्ति राशि पर स्थगन प्रदान कर अवशेष कर एवं ब्याज राशियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2015 में अंकित नहीं किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष उपरोक्त तालिका के अनुसार स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मोहन लाल नेहरा
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य